विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जोकि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए थे। इसमें XXI अध्याय शामिल हैं। अध्याय I संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से XX वर्तमान के विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं। अध्याय XXI पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्रवाई टिप्पणियों की सारांशीकृत स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों को मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

भेषजीय विभाग

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अप्रयुक्त राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली - ₹ 5.78 करोड़

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) ने सभागार के निर्माण हेतु भेषजीय विभाग (भे.वि.) द्वारा जारी (2009-10) ₹ 4.22 करोड़ की निधियों को विभाग के विनिर्दिष्ट निर्देशों के उल्लंघन में बैंक में रखा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राशि को रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा ब्याज सहित वापस किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1)

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय

उपभोक्ता कार्य विभाग

अप्राधिकृत व्यय

उपभोक्ता कार्य विभाग ने निधियों की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो सांविधिक निकायों के माध्यम से ₹1.08 करोड़ का प्रबंध करके पूरा किया। विभाग के कार्य का बजटीय प्रावधानों से अधिक होने तथा संसदीय प्राधिकरण का परिगमन करने का प्रभाव था जो अप्राधिकृत व्यय का कारण बना।

(पैराग्राफ 3.1)

संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

निधियों का अवरोधन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) मार्च 2000 में इसके द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दो विस्तारों के बावजूद भी, पुरातत्व संस्थान का निर्माण करने में विफल रहा। यह, प्राधिकरण द्वारा नवम्बर 2012 में प्लाट के आवंटन के रद्द किये जाने तथा दण्ड लगाए जाने का कारण बना। भा.पु.स. का निरूत्साही दृष्टिकोण भी परियोजना उद्देश्यों की अप्राप्ति के अतिरिक्त ₹ 2.61 करोड़ के परिहार्य भुगतान तथा ₹ 3 करोड़ की निधियों के अवरोधन का कारण बना।

(पैराग्राफ 4.1)

स्वायत्त निकायों से स्टाफ का अनियमित संयोजन

संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों से स्टाफ का संयोजन करने की अनियमित प्रक्रिया को अपनाया। अक्तूबर 2003 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 22 स्वायत्त निकायों ने मंत्रालय में संयोजित 85 कर्मचारियों/संविदात्मक स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹3.66 करोड़ का व्यय किया था।

(पैराग्राफ 4.2)

विदेश मंत्रालय

सरकारी लेखे से बाहर बैंक खाते का अनुरक्षण

भारतीय दूतावास ब्यूनॉस आयर्स, अर्जेंटीना ने बैंक खाता का परिचालन किया और सरकारी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किये बगैर अर्जेंटीना पेसो 41,17,118 (₹ 5.10 करोड़) का लेनेदेन किया।

(पैराग्राफ 5.1)

सामानों के प्रापण में नियमों का उल्लंघन

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, अटलांटा ने ₹1.61 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयरों, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं फर्नीचर/फिटिंगों का तीन अलग खरीदों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए एवं उचित, पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुपालन के बगैर प्रापण किया था।

(पैराग्राफ 5.2)

मासिक लेखे में फर्जी भुगतान वाउचर/प्राप्ति चालान

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, ह्यूस्टन, यू.एस.ए. ने यू.एस. $3,72,632 के भुगतान वाउचर तथा यू.एस. $3,62,172 के प्राप्ति चालान अवास्तविक बनाए तथा इनका हिसाब मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए अपने मासिक लेखे में दिया। रोकड़ बही में प्रविष्टि किए बिना यू.एस $69,356 का आहरण और यू.एस $39,266 जमा हुए थे। वाणिज्य दूतावास के लेखे में गंभीर गलतियाँ थीं जिनके कारण प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा बेहिसाब आहरणों से इंकार नहीं किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 5.3)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

'मेगा फूड पार्क योजना' का धीमा कार्यान्वयन

मेगा फूड पार्क योजना सितम्बर 2008 में, प्रथम चरण में कार्यान्वयन हेतु 10 परियोजनाओं के साथ शुरू की गयी थी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति अत्यंत धीमी थी एवं तय समय-सीमा से काफी पीछे चल रही थी। परिणामस्वरूप, ₹ 250 करोड़ के निवेश के बावजूद, योजना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

(पैराग्राफ 6.1)

'संयोजन शुल्क' का परिहार्य भुगतान

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (ह.रा.औ.अ.वि.नि.) से प्राप्त भूमि के प्लाट पर हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थाना हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (रा.भ.नि.नि.) को नियुक्त किया। तथापि,

रा.भ.नि.नि. को, ह.रा.औ.अ.वि.नि. को निर्माण योजना के प्रस्तुतीकरण से पहले भूमि के प्लाट पर निर्माण प्रारम्भ करने को अनुमत किया गया तथा प्रक्रिया में शहरी एवं देश विकास विभाग, हरियाणा सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। उसका परिणाम ₹1.36 करोड़ के संयोजन शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

दावा न किए गए परिनियोजन प्रभार

सशस्त्र सीमा बल द्वारा राज्यों/सं.शा.क्षे. से, परियोजन लागत के शीघ्र उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। जनवरी 2008 एवं मार्च 2013 के बीच विभिन्न अवसरों पर बिलों को प्रस्तुत करने में इसकी विफलता परिनियोजन प्रभारों के प्रति ₹25.32 करोड़ की कम वसूली का कारण बनी।

(पैराग्राफ 8.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

आई.आई.टी. हेतु स्थायी अवसंरचना स्थापित करने में परिहार्य विलम्ब

भारत सरकार ने xiवीं पंचवर्षीय योजना में आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु मंत्रीमण्डल की स्वीकृति जुलाई 2008 में प्रदान की गई थी। तथापि परियोजना की पूर्णता में हुआ पर्याप्त विलम्ब, परियोजना के उद्देश्यों को पूरा न किए जाने का कारण बना।

(पैराग्राफ 9.1)

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादक व्यय

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने, ना बिके प्रकाशनों की प्रवृत्ति का संज्ञान न लेते हुए, शब्दकोशों तथा पुस्तिकाओं, जिनके लेने वाले काफी कम थे, की 1000 प्रतियों का मुद्रण जारी रखा। यह ₹2.22 करोड़ की कीमत के इन प्रकाशनों के संचयन का कारण बना।

(पैराग्राफ 9.2)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

ब्याज की हानि

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्टैट बैंक पटियाला में ₹217 करोड़ का निवेश सावधि जमा में, अन्य बैंक द्वारा दिये जाने वाले मैजूदा दरों के बारे में पता किये बगैर किया था जो ₹3.25 करोड़ की ब्याज की हानि का कारण बना।

(पैराग्राफ 9.3)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान

सरकारी प्राप्तियों का अप्राधिकृत प्रतिधारण

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (स.प्र.प्र.स.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय, ने एक अलग चालू खाते का अनुरक्षण करके अपनी प्राप्तियों के भाग को अप्राधिकृत रूप से सरकारी खाते से बाहर रखा। इस खाते में जमा प्राप्तियों तथा किए गए व्यय ने प्र.ले.का. प्रणाली को अनदेखा किया। परिणामस्वरूप अपेक्षित जांचों से समझौता किया गया था। तथ्य, कि ये निधियां बजटीय प्रक्रिया के बाहर रखी गई थी, व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को भी दुर्बल बनाता है।

(पैराग्राफ 12.1)

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

निधियों का समयपूर्व जारी किया जाना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निधियों की शीघ्र आवश्यकता का आकलन किए बिना तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को समयपूर्व निधियां जारी की जो ₹1.20 करोड़ के ब्याज की हानि का कारण बना।

(पैराग्राफ 13.2)

पर्यटन मंत्रालय

गैर मौजूदा संस्थाओं को कार्य की सुपुर्दगी

भारत सरकार पर्यटन कार्यालय लंदन द्वारा पारदर्शी, प्रतियोगितात्मक एवं स्पष्ट प्रापण प्रक्रिया के अनुपालन की विफलता गैर-मौजूदा संस्थाओं को अनुबंध प्रदान करने और ₹97.44 लाख के परिणामी भुगतान में परिणत हुई।

(पैराग्राफ 18.2)

युवा मामला एवं खेल मंत्रालय

चिकित्सकीय बिलों का फर्जी आहरण

कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिसे भुगतान के लिए बिलों की जॉच करने तथा सत्यापित करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उसने अपने पद का लाभ उठाया तथा अपने लिए ₹11.10 लाख की राशि के जाली चिकित्सकीय बिल पारित किए थे।

(पैराग्राफ 20.1)